

# भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

**RESERVE BANK OF INDIA**

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

NEW DELHI REGIONAL OFFICE



## पंजीकरण प्रमाण पत्र

### CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

B-14.02554

No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुपरानीत फाइनेन्स एंड कन्सल्टेंट्स लिमिटेड को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ करने/ करते रहने के लिए यह

## पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

**Supraneet Finance and Consultants Limited**

is hereby granted

### **Certificate of Registration**

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन फरवरी दो हजार दो की पहली तारीख को जारी किया गया।

this **First**

Given under my hand at

day of **February** Two Thousand **Two**



*Gajender Kumar*  
(Gajender Kumar)

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager